

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 304] No. 304] नई दिल्ली, बृहस्पितवार, सितम्बर 3, 2015/भाद्र 12, 1937 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2015/BHADRA 12, 1937

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 3 सितम्बर, 2015

फा. सं. भा. स. वि./ मु./ प्रशा./ अधिसूचना/ 2015.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 (2008 का 22 वां) की धारा 47 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:

- दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 40 [किनष्ठ अभियंता (सिविल) पद की भर्ती नियमावली] को निरस्त किया जाता है [कार्यकारी समिति संकल्प सं 2015-31-37 दि. 26-06-2015]।
- 2. दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 43 [किनष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल) पद की भर्ती नियमावली] को निरस्त किया जाता है [कार्यकारी समिति संकल्प सं 2015-31-37 दि. 26-06-2015]।
- 3. दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 2 [समकुलपित/ प्रतिकुलपित पद की

3740 GI/2015 (1)

- भर्ती नियमावली] को निरस्त किया जाता है [कार्यकारी समिति संकल्प सं 2015-32-12 दि. 21-08-2015]।
- 4. दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 29 (आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी पद की भर्ती नियमावली) को निरस्त किया जाता है [कार्यकारी समिति संकल्प सं 2015-32-15 दि. 21-08-2015]।
- 5. दिनांक 12 मई 2009 को भारत के राजपत्र संख्या 76 के "प्रशासनिक मामलों को निर्धारित करने वाले अध्यादेश" के अध्याय 9 में प्रकाशित प्रकाशन क्रम संख्या 25 (किनष्ठ सहायक पद की भर्ती नियमावली) को निरस्त किया जाता है [कार्यकारी समिति संकल्प सं 2015-32-16 दि. 21-08-2015]।

एस. वी. दुर्गा प्रसाद, कुल सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./92-पी/15 (195)]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY NOTIFICATION

Chennai, the 3rd September, 2015

- **F. No. IMU/HQ/ADM/Notification/2015.**—In exercise of the powers conferred by Section 47(1) of the Indian Maritime University Act 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:
 - 1. The Notification published at Serial No.40 [Recruitment Rules for the post of Junior Engineer (Civil)], in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed [vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-17 dated 26-06-2015].
 - 2. The Notification published at Serial No.43 [Recruitment Rules for the post of Junior Engineer (Electrical)], in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed [vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-17 dated 26-06-2015].
 - The Notification published at Serial No.2 (Recruitment Rules for the post of Pro Vice Chancellor), in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed [vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-12 dated 21-08-2015]
 - The Notification published at Serial No.29 (Recruitment Rules for the post of Internal Audit Officer), in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed [vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-15 dated 21-08-2015]
 - 5. The Notification published at Serial No.25 (Recruitment Rules for the post of Junior Assistant), in Chapter 9 of "Ordinances Governing Administrative Matters" of the Gazette of India No. 76, dated May 12, 2009 is hereby repealed [vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-16 dated 21-08-2015]

S.V.DURGA PRASAD, Registrar [ADVT. III/4/Exty /92-P/15 (195)]